



(564)

तरीने पर 2023/16

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १२०६६ निगरानी तिथि २०२३-१-१६

सियाराम पुत्र श्री स्व० शिवनारायण,  
आयु ५४ वर्ष, निवासी वहुआ, तेहसील-मैहगांव  
जिला मिष्ठ (म०प०)।

— प्रार्थी —

बिराच्छ

मृत्यु अप्तुष्टी  
द्वारा आज २२-६-१६ को

प्रस्तुत  
कलक और वहुआ  
राजस्व मण्डल न्यायालय

✓ १- रामबीतार पुत्र स्व० श्री शिवनारायण,  
जाति ब्राह्मण, उम्र ६० वर्ष, निवासी वहुआ,  
तेहसील मैहगांव जिला-मिष्ठ (म०प०)।

२- राजाकेटी पुत्र स्व० श्री शिवनारायण  
पत्नी रामसिया, जाति ब्राह्मण उम्र ५५ वर्ष,  
निवासी वहुआ, चाल गला पण्डी के पीड़ी,

कोई

दैवरी-मैहगांव जिला मिष्ठ -८०प०।

३- चमली पुत्रोस्व० श्री शिवनारायण पत्नी मुरारी,

(अ) मुरारीलाल दुवै पुत्र प्रमुख्याल दुवै, निवासी ग्वालियर रोड, की के पास, ग्वालियर  
मैहगांव, तेहसील मैहगांव जिला मिष्ठ-८०प०।

(ब) पुत्रगण मुरारीलाल दुवै,

(स) कुल्लीप

जिला मिष्ठ -८०प०।

की ।

निवासीगण ग्वालियर रोड, मैहगांव तेहसील मैहगांव,  
जिला मिष्ठ-८०प०।

श्री शिवनारायण पत्नी हृदैश कर निवेदन  
वर्ष, निवासी वहुआ, ० महोदय के

(द) श्रीमती लक्ष्मा पत्नी राजेश स्माँ पुत्री मुरारीलाल दुवै,

की चवकी के पास, ग्वालियर दान की

निवासिन गढ़पारा तेहसील मैहगांव जिला मिष्ठ-८०प० मिष्ठ-८०प०।

निगरानी बिराच्छ आदेश एस०टी०आ० महोदय मैहगांव चिनाकी

६-५-१६ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, ११५६।

प्र०क० १५०१५-१६ अप्र०।

१,

— प्रार्थी —

मिमाणक

क्रमशः—२

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2023-एक/16

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१९-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५.५.१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">४ प्रशासकीय सदस्य</p> <p>(३)</p>	